अध्याय VII
शुल्क छूट/ रियायत योजनाएँ

सरकार एक अधिसूचना के माध्यम से एक निर्यात प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत इनपुट एवं पूँजीगत माल के आयात के लिए संपूर्ण अथवा सीमा शुल्क के भाग की छूट दे सकती है। ऐसे छूटप्राप्त माल के आयातक विशिष्ट शर्तों का पालन करने के साथ-साथ निर्धारित निर्यात दायित्वों (ईओ) को पूरा करने का वचन देते हैं, जिसमें विफल होने पर शुल्क की पूरी दर उद्ग्रणीय हो जाती है। अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान (मार्च 2012 से फरवरी 2014) देखे गए कुछ निदर्शी मामलों पर जहाँ इओज/शर्तों को पूरा किये बिना शुल्क छूट प्राप्त की गई थीं, पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है एवं 13 शुल्क छूट/माफी मामले अनुबंध सात में सूचीबद्ध है। इन मामलों में कुल राजस्व अनुमान ₹ 182.65 करोड़ हैं।

भारत से सहायता प्राप्त योजना (एसएफआईएस)/फोकस उत्पाद योजना (एफपीएस)

₹ 58.01 लाख के अधिक शुल्क क्रेडिट का अनुदान

7.1 भारत से सहायता प्राप्त योजना एचबीपी के परिशिष्ट 41 में सूचीबद्ध सेवाओं के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में सेवा प्रदाताओं द्वारा अर्जित विदेशी विनिमय के 10 प्रतिशत पर शुल्क क्रेडिट का प्रावधान करती है। यद्यपि, ''माल'' का निर्यात एसएफआईएस (एफटीपी का पैराग्राफ 3.12.3) के अन्तर्गत लाभों का अधिकारी नहीं होगा।

मै. श्रीराम ईपीसी लि. चेन्नै को आवेदन के विलम्बित प्रस्तुतिकरण के लिए प्रक्रियाओं की हस्तपुस्तिका (भाग I), 2009-14 के पैराग्राफ 9.3 के अनुसार 2 प्रतिशत का लेट कट लगाने के पश्चात् वर्ष 2011-12 के दौरान ''निर्माण एवं अभियांत्रिकी संबंधित सेवाएँ'' उपलब्ध कराने के लिए अर्जित ₹ 4050.55 लाख के मुक्त विदेशी विनिमय के 10 प्रतिशत पर एसएफआईएस योजना के अन्तर्गत आरएलए, चेन्नै द्वारा ₹ 396.95 लाख के लिए शुल्क क्रेडिट स्क्रिप प्रदान किया था (सितम्बर 2012)

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राप्त हुई रकम के संबंध में कम्पनी द्वारा 25 अगस्त 2012 को की गई स्वउद्घोषणा के

अनुसार तथा एएनएफ 3बी के लिए अनुबंध के रूप प्रस्तुत किये गए सनदी लेखाकार द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के अनुसार वर्ष 2011-12 के दौरान अर्जित विदशी विनिमय केवल ₹ 3458.59 लाख था। यद्यपि, आनलाईन आवेदन दर्ज कराते समय यह गलती से ₹ 4050.55 लाख (पिछले वर्ष 2010-11 के दौरान अर्जित विदेशी विनिमय) दर्शाया गया था। परिणामस्वरूप, ₹ 396.95 लाख का शुल्क क्रेडिट प्रदान किया गया था जबकि वास्तविक हकदारी 2 प्रतिशत का लेटकट लगाने के बाद भी ₹ 338.94 लाख थी। अतः अर्जित मुक्त विदेशी विनिमय की गलत गणना के परिणामस्वरूप ₹ 58.01 लाख के शुल्क क्रेडिट का अधिक अनुदान हुआ।

सहायक महानिदेशक विदेशी व्यापार, चेन्नै ने फर्म को माँग ज्ञापन जारी किये जाने की सूचना दी (नवम्बर 2014)।

अयोग्य सेवाओं के लिए अनुमत शुल्क क्रेडिट

7.2 उच्चतम न्यायालय ने टाटा कन्सलटेन्सी सर्विसेज बनाम आँध्रपदेश राज्य (एसटीसी 2004 का खंड 137) के मामले में तथा बीएसएनएल बनाम भारत संघ तथा अन्य के मामले में (एसटीसी 2006 का खंड 145) कैन्ड सॉफ्टेवयर को वस्तु मानते हुए उस पर बिक्री कर लगाने का निर्णय दिया क्योंकि एक प्रोग्राम का कॉपीराइट प्रोग्राम के उत्पन्नकर्त्ता के पास हो सकता है परन्तु जैसे ही प्रतियाँ बनाई एवं बेची जाती हैं, यह वस्तु बन जाती है जो बिक्री कर हेतु ग्रहणनीय हैं। तदनुसार, वस्तु समान होने के नाते एसएफआईएस के अन्तर्गत शुल्क क्रेडिट की हकदार नहीं हैं।

मै. कलईगर टीवी प्राइवेट लिमिटेड को विदेश में विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से उनके द्वारा अर्जित "विडियो प्रोग्रामों की आपूर्ति हेतु लाइसेन्स शुल्क" को "मनोरंजन सेवाएँ" प्रदान करना मानते हुए वर्ष 2011-12 के दौरान उनके द्वारा अर्जित मुक्त विदेशी विनिमय के 10 प्रतिशत पर एसएफआईएस के अन्तर्गत आरएलए, चेन्नै द्वारा ₹ 54.71 लाख का शुल्क क्रेडिट प्रदान किया गया था।

चूँकि, अर्जन स्वामित्व के प्रयोग अथवा कापीराईट के अधिकार के हस्तांतरण के कारण था, ना कि कोई सेवा प्रदान करने के कारण, अतः एसएफआईएस के अन्तर्गत शुल्क क्रेडिट के लिए इसकी गणना नहीं की जा सकती थीं। इसके

परिणामस्वरूप ₹ 54.71 लाख के शुल्क क्रेडिट का अनियमित अनुदान हुआ जो ब्याज सहित वसूली योग्य था।

डीजीएफटी, नई दिल्ली ने बताया (नवम्बर 2014) कि सैटेलाईट संचार के माध्यम से प्रोग्राम का संचरण संचार सेवाएं-आडियों विजुअल सर्विस के अन्तर्गत एचबीपी के परिशिष्ट 41 की क्रम सं. 2 ए के अन्तर्गत आता है तथा इसे 'वस्तु' के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता तथा ''कापीराईट' को शुल्क क्रेडिट के अनुदान से बाहर नहीं रखा गया है।

डीजीएफटी के उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जा सकता हैं कि अर्जन स्वामित्व का प्रयोग करने अथवा कॉपीराईट के अधिकार के हस्तांतरण के कारण था ना कि सेवाएँ प्रदान करने के कारण। उपरोक्त न्यायिक घोषणा के अनुसार 'कॉपीराईट अथवा स्वामित्व को प्रयोग करने के अधिकार को वस्तु बिक्री अधिनियम के अन्तर्गत 'वस्तु' के रूप में माना गया हैं, अत: क्रेडिट के अनुदान के लिए सेवा के रूप में अयोग्य हैं।

हास्पिटलिटी क्षेत्र द्वारा निवल विदेशी मुद्रा अर्जन (पैराग्राफ 7.3 से 7.24)।

7.3 भूमिका

आतिथ्य उद्योग सेवा उद्योग में एक विस्तृत श्रेणी है जिसमें अस्थायी आवास, कार्यक्रम आयोजन, थीम पार्क, परिवहन, समुद्री पर्यटन, तथा पर्यटन उद्योग में अतिरिक्त क्षेत्र शामिल हैं। एक आतिथ्य इकाई जैसे एक रेस्त्रा, होटल, यहाँ तक कि एक मनोरंजन पार्क में अनेक समूह शामिल होते हैं जैसे सुविधा रखरखाव, परिचालन (सर्वर, हाउसकीपर, पोर्टर, रसोई, शराब घर के परिचारक इत्यादि) प्रबंधन, विपणन एवं मानव संसाधन। भारतीय आतिथ्य क्षेत्र द्वारा भारतीय जीडीपी में 8-9 प्रतिशत तक योगदान का अनुमान है। 2011 से 2013 की अवधि के दौरान 19.84 मीलियन विदेशी पर्यटकों ने भारत की मात्रा की तथा कुल अर्जित विदेशी विनिमय ₹ 279749[17] करोड़ था। भारत 1.61 प्रतिशत के औसत हिस्से के साथ विश्व पर्यटन प्राप्तियों में 16 वें स्थान पर है। जबकि समान अवधि के दौरान एशिया तथा प्रशान्त महासागर क्षेत्र में पर्यटन प्राप्तियों में 5.45 प्रतिशत के औसत हिस्से के साथ इसका स्थान 8वाँ था।

[17] स्रोत: एक नजर में भारतीय पर्यटन साँख्यिकी-2011, 2012 तथा 2013, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार

आतिथ्य क्षेत्र के विकास के बिना यात्रा एवं पर्यटन में वृद्वि के अवसरों को संपादित नही किया जा सका। सेवा क्षेत्र के लिए निर्यात प्रोत्साहन उपायों को मुख्यत: एसएफआईएस तथा ईपीसीजी योजना के अन्तर्गत कवर किया गया है। इन दो योजनाओं (आतिथ्य क्षेत्र सहित) के अन्तर्गत कुल शुल्क तालिका 7.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 7.1-पूर्व निश्चित शुल्क

(करोड़ ₹)

पूर्वनिश्चित शुल्क	2011-12	2012-13	2013-14	कुल
ईपीसीजी	9672	11218	8990	29880
एसएफआईएस	555	590	639	1784
कुल	10227	11808	9629	31664

स्रोत: केन्द्रीय प्राप्ति बजट, सीबीईसी डीडीएम

7.4 विदेशी व्यापार नीति के वार्षिक पूरक 2013-14 की हाईलाइट्स की घोषणा करते समय, यह घोषित किया गया था कि एसएफआईएस योजना के अन्तर्गत सेवा प्रदात्ता एक वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित मुक्त विदेशी विनिमय के 10 प्रतिशत की दर से योजना के अन्तर्गत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के हकदार हैं। 18 अप्रैल 2013 से प्रभावी हकदारी अर्जित किये गए कुल विदेशी विनिमय के आधार पर गिनी जानी है (अर्थात् वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित कुल विदेशी विनिमय से खर्च किये गए विदेशी विनिमय को घटाने के बाद)।

7.5 दिनाँक 24 दिसम्बर 1998 के नीति परिपत्र सं. 60/97-2002 के अनुसार ईपीसीजी योजना के उद्देश्य से रूपये में भुगतान की विभिन्न श्रेणियाँ जो अर्जित विदेशी विनिमय के रूप में समझी जाएँगी, निम्नलिखित हैं:-

- विदेशियों से नकदीकरण प्रमाणपत्र के प्रति भारतीय रूपये में प्राप्त भुगतान।
- विदेशी पर्यटकों के होटल में रूकने से अर्जित ट्रेवल एजेन्ट/टूर ऑपरेटर से भारतीय रूपये में प्राप्त भुगतान (आयकर अधिनियम की धारा 80 एचएचडी के अन्तर्गत विदेशी विनिमय माना गया)।
- (क) वायु/उड्डयन खानपान इकाई, स्टेण्ड एलोन तथा अन्य एवं (ख) होटलों द्वारा विदेशी विमान सेवा के विदेशी विमान कर्मीदल के ठहरने से उनके प्रत्यावर्तन योग्य अर्जन के प्रति भारतीय रूपये में प्राप्त भुगतान।

- राजनयिकों, राजदूतो, यूएन संगठनों के परिवर्तनीय विदेशी विनिमय में से उनसे भारतीय रूपये में प्राप्त भुगतान।

  मुद्रा परिवर्तक लाइसेंस के माध्यम से अर्जित विदेशी विनिमय (होटल बिलों के प्रति नहीं) को ईपीसीजी योजना के उद्देश्य से विदेशी विनिमय अर्जन के रूप में नहीं माना जाएगा। उपरोक्त सेवाओं के संबंध में लाईसेंस धारक को बैंक से प्रमाणपत्र के बदले में एक सीए प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

7.6 लेखापरीक्षा उद्देश्य

- क्या आतिथ्य क्षेत्र विदेशी व्यापार नीति (एफटीपी) दिशानिर्देशों के अनुसार विदेशी विनिमय अर्जन के उद्देश्य से मुख्यत: दो योजनाओं: निर्यात प्रोत्साहन पूँजीगत माल (ईपीसीजी) तथा भारत से सहायता प्राप्त योजना (एसएफआईएस) के अन्तर्गत विदेशी व्यापार नीति (एफटीपी) के शुल्क लाभों से सरल बना है।
- आतिथ्य क्षेत्र में सेवा प्रदात्ताओ द्वारा विदेशी विनिमय अर्जन को प्रोत्साहित करने के लिए क्या आन्तरिक नियंत्रण प्रणालियाँ तथा निगरानी तंत्र प्रभावशाली हैं।
- क्या हकदार सेवा प्रदात्ताओ जैसे होटल रेस्त्राँ, टूर आपरेटरों इत्यादि द्वारा व्यापार की श्रेणी से संबंधित योग्य मदों के आयात के लिए निर्धारित प्रावधानों के अनुसार शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स का प्रयोग किया गया है।

7.7 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

ईपीसीजी एवं एसएफआईएस लाइसेंसों के विदेशी विनिमय अर्जनों एवं प्रशासन तथा क्रियान्वयन में शामिल विभिन्न एजेन्सियों अर्थात् डीजीएफटी के स्थानीय लाइसेसिंग प्राधिकरण (आरएलए), सीमाशुल्क पत्तन एवं बैक, आतिथ्य क्षेत्र में सेवा प्रदाता/लाभार्थी तथा 2005-07 के दौरान जारी किए गए ईपीसीजी लाइसेंसो (6-8 वर्ष के ईओं अवधि मानते हुए) के अभिलेखों की जाँच की गई थी। 2012-14 की अवधि के दौरान छुडाए गए ईपीसीजी लाइसेसों तथा 2012-13 एवं 2013-14 की अवधि के दौरान जारी किये गए एसएफआईएस लाइसेसों की जाँच की गई थी।

7.8 लेखापरीक्षा कार्यपद्धति एवं नमूना चयन

(i) ईपीसीजी के मामले में, 2005-06 एवं 2006-07 के दौरान जारी किये लाइसेंस पूर्वनिश्चित शुल्क, निर्यात दायित्व एवं अर्जित विदेशी विनिमय के आधार पर चयनित किये गए थे। ईपीसीजी अनुज्ञप्तियाँ जिनमें बचाया गया शुल्क ₹ 100 करोड़ अथवा अधिक है, जहाँ ईओ अवधि 12 वर्ष है, की अलग जाँच की गई थीं।

(ii) एसएफआईएस के मामले में, 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान जारी किये गए लाइसेंस संबंधित वित्तीय वर्ष में अर्जित विदेशी विनिमय के प्रति लाइसेंस धारकों को जारी किये गए शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के सीआईएफ मूल्य के आधार पर चयनित किये गए थे।

(iii) नमूना चयन लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से किया गया था।

लेखापरीक्षा टिप्पणियां

7.9 लेखापरीक्षा ने देखा कि एसएफआईएस एवं ईपीसीजी योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त किया गया शुल्क लाभ ₹ 31664.64 करोड़ तक था। तथापि, डीजीएफटी ने आतिथ्य क्षेत्र में प्राप्त किये गए लाभ के आँकडों को पृथक्कृत नहीं किया था। इस प्रकार, यह इस बढ़ते क्षेत्र के प्रभाव तथा महानिदेशालय विदेशी व्यापार (डीजीएफटी) द्वारा निर्धारित एफटीपी के साथ इसके संबंध को जानने की स्थिति में नहीं होगा। डीओसी द्वारा गठित किये गए कार्यबलों ने भी आतिथ्य क्षेत्र की कार्यसम्पादन लागत को पुनर्गठित करने के लिए इसकी जाँच करने की आवश्यकता नही समझी। जबकि आतिथ्य क्षेत्र जीडीपी की 8-9% की दर पर ₹ 279749 करोड़ (2011-13) तक एफईई के साथ वृद्धि करता हुआ एक उभरता क्षेत्र है।

7.10 आन्तरिक नियंत्रण एवं निगरानी

हमने देखा कि राजस्व सर्जन में किसी निसरण अथवा शुल्क लाभों के दुरूपयोग से बचने के लिए नियंत्रण ढीला था। कुछ मामले नीचे दर्शाए गए हैं।

7.10.1 आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रियाएँ एवं आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

डीजीएफटी ने जनवरी 2000 में एक निर्देश जारी किया था जिसके तहत आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों की सत्यता सुनिश्चित करने हेतु जारी किये गए लाइसेंसो के पाँच प्रतिशत की नमूना लेखापरीक्षा के उद्देश्य से सभी आरएलएज़ में एक पश्च निर्गम लेखापरीक्षा विंग (पीआईएडब्ल्यू) का गठन किया जाना आवश्यक था। अनुभागों के एफटीडीओज प्रत्येक माह की 1 एवं 16 तारीख को यादृच्छ आधार पर लेखापरीक्षा हेतु न्यूनतम पाँच प्रतिशत फाइलों का चयन करके फाईलों की एक सूची सर्जित करते हैं। तदनुसार विशिष्ट अनुभाग एवं विशिष्ट योजना हेतु अनुज्ञप्ति सूची सर्जित की जानी हैं। अनुभाग प्रस्तुत किये गए सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों जैसे आरसीएमसी, बीआरसीज/एफआईआरसीज़, शिंपिग बिल/निर्यात बिल, विभिन्न अधिकारियों के पास पंजीकरण की यर्थाथता की जाँच करेंगे। जैसाकि दिनाँक अगस्त 2007 के परिपत्र द्वारा निर्धारित किया गया है, प्रक्रिया की प्रगति को दर्ज करने तथा निगरानी हेतु एक अलग रजिस्टर अनुरक्षित किया जाना है।

7.10.2 स्थानीय लाइसेसिंग प्राधिकारी (अहमदाबद एवं वडोदरा) चयनित 5 प्रतिशत ईपीसीजी/एसएफआईएस लाइसेंस फाइलों की लेखापरीक्षा नहीं कर रहे थे। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत किये गए महत्वपूर्ण दस्तावेजों जैसे आरसीएमसी, बीआरसीज/एफआईआरसीज तथा विभिन्न आधिकारियों के पास पंजीकरण की सत्यता की दो तरफा जाँच भी नही की गई थी। प्रक्रिया की प्रगति को दर्ज करने एवं निगरानी करने के लिए एक अलग रजिस्टर या तो बनाया नहीं गया था अथवा जहाँ बनाया गया था, वहाँ आवधिक प्रविष्टियाँ नहीं की गई थीं। इसके अतिरिक्त आरएलए बैंगलौर में पश्चनिर्गम लेखापरीक्षा विंग (पीआईएडब्ल्यू) की स्थापना भी नहीं की गई थी। आरएलए, बैंगलौर ने पीआईएडब्ल्यू के पुनर्गठन की सूचना दी है (नवम्बर 2014)।

आरएलए, अहमदाबाद ने बताया (जून 2014) कि मामले की जाँच के बाद विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा। आरएलए, वडोदरा ने बताया कि उन्होने पश्च निर्गम लेखापरीक्षा हेतु यादृच्छ आधार पर 5 प्रतिशत फाइलों का चयन किया है तथा आरसीएमसी, बीआरसी/एफआईआरसी एवं शिपिंग बिल/निर्यात

बिल की जाँच हेतु संबंधित अधिकारियों को सूचना दी। विभाग द्वारा एक रजिस्टर भी बनाया गया था।

आरएलए, वडोदरा का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार ना तो पश्चनिर्गम लेखापरीक्षा विंग (पीआईएडब्ल्यू) स्थापित की गई थी एवं ना ही कोई रजिस्टर बनाया गया था। इसके अतिरिक्त मई 2012 के बाद से रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं थी।

7.10.3 आरएलए, जयपुर मे ईपीसीजी योजना के तहत अनुज्ञप्तियों के दुरूपयोग के संबंध में दिनाँक 16 नवम्बर, 2005 के डीआरआई पत्र सं. 840/ जेपीआर/19-XVIII/2004/1842 के आधार पर मै. नार्थवेस्ट मारवाड़ रिसार्ट एण्ड हेल्थस्पा (पी) लि. को एक कारण बताओ ज्ञापन जारी किया था। मामले को जून 2006 में सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निपटान आयोग, मुख्य न्यायाधीश, नई दिल्ली में भी दर्ज किया गया था। फाइलों में उपलब्ध विवरण के अनुसार देयता के लिये स्वीकार ₹ 120.72 लाख में से, ₹ 92.54 लाख का जांच के दौरान भुगतान करना नियत हुआ था और ₹ 28.18 लाख वसूली के लिये लंबित था।

आरएलए, जयपुर ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया और कहा कि फरवरी 2007 के बाद इन मामलों की अद्यतनीकृत स्थिति उपलब्ध नहीं थी। आरएलए ने इसके अतिरिक्त कहा कि उन मामलों में डीआरआई कार्यालय से अद्यतनीकृत स्थिति मांगी जा सकती है।

तथ्य है कि वसूली के मामलों की कमजोर निगरानी के परिणामस्वरूप सात वर्ष समाप्त होने के बाद भी वसूली में विलंब हुआ। सभी लेखापरीक्षा निष्कर्षों में, प्रवर्धित किया गया कि लेखापरीक्षा के बाद के लिये निर्धारित प्रतिशतता का पालन किया गया था।

7.11 आरएलए और सीमाशुल्क/सेवाकर विभाग के बीच तालमेल की कमी

इपीसीजी के संबंध में निगरानी तंत्र में कमी/अपर्याप्तता देखी गई और अनुवर्ती पैराग्राफ में स्पष्ट की गई है, एसएफआईएस, निगरानी में शामिल नहीं है क्योंकि यह निर्यात के बाद की योजना है लेकिन लेखापरीक्षा मे जांच की गई 13 एसएफआईएस फाइलों में से 12 में, सेवाप्रदाताओं द्वारा एफटीपी के पैरा 3.12.6 के अंतर्गत निर्धारित अनुसार 'निर्यात का विवरण' प्रस्तुत नहीं किया गया।

जहां तक आयात और निर्यात से संबंधित सजीव आंकडों के स्थानांतरण के साथ-साथ लाइसेंस के ऑनलाइन संचार का संबंध है, ईडीआई प्रणाली इडीआई सक्षम पत्तनों के मामले में आरएलए और सीमाशुल्क के बीच लाइसेंस और आयात के ऑनलाइन संचार के लिये है लेकिन आरएलए कोलकाता में यह देखा गया कि निर्यात से संबंधित सजीव आंकड़ों के विनिमय के लिये कोई प्रणाली नहीं है। यद्यपि, सेवाओं को आयात के मामले विशेष रूप से आतिथ्य क्षेत्र द्वारा प्रदान की गई सेवाओं में, विदेशी मुद्रा प्राप्ति पर आरबीआई का और ऐसी सेवा प्रदाताओं द्वारा लेन-देन (जहां पोत परिवहन पत्र की आवश्यकता नहीं होती) में सीमाशुल्क विभाग की कोई भागीदारी नहीं होती। न ही आतिथ्य सेवा क्षेत्र द्वारा प्राप्त एफई सेवा की आयातक या सेवाप्रदाता द्वारा भरे जाने वाले अपेक्षित सेवा कर फार्म (एसटी-3) के साथ तुलना की गई थी।

7.12 इपीसीजी/एसएफआईएस योजना की अनुचित निगरानी और कार्यान्वयन

आरएलए कोलकाता में लेखापरीक्षा में देखा कि आंकड़े/जानकारी अर्थात बीआरसी और एसएफआईएस/इपीसीजी योजनाओं के अंतर्गत पात्रता निर्धारित करने के लिये आयातकों द्वारा प्रस्तुत अन्य संबंधित दस्तावेजों की सत्यता की पुष्टि (आवेदको से पत्राचार के अलावा अन्य) के लिये आरएलए में कोई प्रणाली नहीं थी। संपूर्ण निर्भरता प्रदान की गई सेवाओं के प्रकृति से सेवा प्रदाताओं द्वारा घोषणा और एसएफआईएस शुल्क क्रेडिट प्रमाणपत्र/निर्धारण के अनुदान के लिये सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित आयात के विवरण और ईपीसीजी योजना के मामले में औसत आयात पर थी।

वार्षिक लेखे, बीआरसी, आईटी रिटर्न और विदेशी आवक विप्रेषण प्रमाणपत्र जैसे अन्य वैधानिक दस्तावेजों के साथ इन घोषणाओं के सहसंबंध के लिये नियंत्रण का अभाव जोखिम क्षेत्र है जिस पर विचार करना आवश्यक है। ऐसा आथित्य क्षेत्र की सेवाओं के आयात के मामले में और अधिक है जिसमें लेन-देन में सीमाशुल्क विभाग की कोई भूमिका नहीं है और वहां भी जहां लंबित विदेशी विनिमय के मामले, यदि कोई हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बकाया विवरण में नहीं दर्शाये गये हैं।

उदाहरण के लिये, मैसर्स पारिख इन प्राइवेट लिमिटेड, जमशेदपुर (आरएलए कोलकाता) के मामले में, यह देखा गया कि पूंजीगत माल के निर्यात के लिये बीजक वेलकम ग्रुप द्वारा फार्चून होटल सेन्अर पॉइंट की ओर से आवेदन को संबोधित किया गया था और सनदी लेखाकार द्वारा जारी प्रमाणपत्र के अनुसार पूंजीगत माल फार्चून होटल में स्थापित किया गया था।

इसी प्रकार, मैसर्स सिंसियर डिवेलपर प्राइवेट लिमिटेड को दिये गये एसएफआईएस के लाभ के मामले में एफआईआरसी के अनुसार होटल रेडिसन आगरा सेवा प्रदाता था। पुन:, जबकि हयात रिजेंसी, कोलकाता सेवा प्रदाता था, दावा मैसर्स एशियन होटल (ईस्ट) लिमिटेड द्वारा किया गया था।

इन सभी मामलों में, आवेदक-दावेदार और सेवा प्रदाता के बीच संबंध अभिलेखों में नहीं था। इसके अतिरिक्त, आवेदक के आईईसी में दावेदार की शाखा/इकाई के रूप में वास्तविक सेवाप्रदाता का नाम नहीं दिया था। इन मामलों में, यह भी स्पष्ट नहीं था कि क्या दावेदार ने योजना के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार पात्र और स्वीकार्य के अलावा दूसरे व्यापार से विदेशी मुद्रा अर्जित की। पता लगाने के लिये कि क्या योजना के अंतर्गत लाभ वास्तविक उपयोगकर्ता/लाइसेंस धारक द्वारा उठाया जा रहा है विभाग के पास कोई तंत्र नहीं है।

7.13 निर्यात की तुलना में वास्तविक क्रम से उगाही की गई विदेशी मुद्रा

डीजीएफटी के पास प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में आतिथ्य क्षेत्र द्वारा वास्तव में प्राप्त विदेशी मुद्रा की पूर्ण जानकारी नहीं है। यह आतिथ्य क्षेत्र के संबंध में योजना की सफलता के मूल्यांकन के लिये उचित उपाय होगा।

अनुपालन मामले

लेखापरीक्षा में देखा गया कि इपीसीजी और एसएफआईएस योजनाओं के एफटीवी प्रावधान का पालन कई मामलों में नहीं किया जा रहा था जिसके परिणामस्वरूप एफई लाभ में गिरावट आई और लाइसेंस धारक को अनुचित लाभ मिला।

भाग- I निर्यात सवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी)

7.14 ₹ 110.54 लाख तक की राशि की निर्यात देयताओं का अनियमित/कम निर्धारण

पूंजीगत माल की घरेलू मांग के मामले में, निर्यात देयताऐं एफओआर मूल्य (पैरा 5.7 एफटीपी) पर अनुमानित सीमा शुल्क के संदर्भ में मानी जायेगी।

7.14.1 दो मामलों में (आरएलए, अहमदाबाद और बड़ोदरा प्रत्येक का एक लाइसेंस) स्वदेशी स्रोतों से खरीद के लिये लाइसेंस धारकों ने अपने ईपीसीजी लाइसेंस अवैध कर दिये और ईओ पूँजीगत माल पर लागू केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सीमाशुल्क को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया था। यह देखा गया कि अनुमानित सीमाशुल्क के आधार पर ईओ का निर्धारण न करने के परिणामस्वरूप शुल्क की कम घोषणा से ₹ 5.81 लाख तक बचाया गया और ₹ 46.49 लाख की सीमा तक ईओ का कम निर्धारण बताया गया। विभाग ने इन लाइसेंसों के लिये ईओडीसी भी जारी किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 38.41 लाख की निर्यात देयता की कम पूर्ती हुई।

7.15 वास्तविक उपयोगकर्ता शर्तों का उल्लंघन

वास्तविक उपयोक्ता शर्तों को उल्लंघन पूंजीगत माल का आयात निर्यात दायित्व पुरा होने तक वास्तविक उपयोक्ता शर्त के अधीन होगा (एफटीपी का पैरा 5.4)।

जेडीजीएफटी, त्रिवेन्द्रम ने ₹ 45.72 लाख की बचाई गई शुल्क राशि के लिये ₹ 365.77 लाख के विशेष निर्यात दायित्व के साथ मैसर्स डोडला इंटरनेशनल लिमिटेड, (आईईसी संख्या 0405007884) को पांच प्रतिशत ईपीसीजी अधिकार पत्र (लाइसेंस संख्या 5330000997 दिनांक 22 सितम्बर 2006) जारी किया। लाइसेंस धारक ने ₹ 45.55 लाख की वास्तविक बचाई गई शुल्क राशि के लिये अक्टूबर 2006 से जनवरी 2007 के दौरान पूंजीगत माल आयतित किया।

इस बीच, मै. ऑरिएन्टल होटल लिमिटेड ने जेडीजीएफटी, तिरूवेंद्रम को सूचना दी की मै. डोडला इन्टरनेशनल लिमिटेड ने उनको सम्पत्ति पट्टे पर दी थी और मै. डोडला इंटरनेशनल के इओ को मै. ऑरिएंन्टिल होटल्स लिमिटेड को हस्तांतरित करने के लिए डीजीएफटी को आवेदन फाइल किया (सितम्बर 2010)।

ईपीसीजी समिति ने मैसर्स डोडला इंटरनेशनल लिमिटेड को जारी अधिकार पत्र के प्रति लगाये गये ईओ को मैसर्स ओरिएन्टल होटल्स लिमिटेड को स्थानांतरित करने की अनुमति देने का निर्णय (पत्र संख्या 01/36/218/151/एमए-11/ईपीसीजी-। दिनांक 21 दिसम्बर 2011) लिया, जैसा ईपीसीजी लाइसेंस के अनुमोदन से पूर्व लागू हो नई बैक गारंटी/एलयूटी के प्रस्तुतीकरण की शर्त पर। यद्यपि ढाई वर्ष बीत चुके हैं, मैसर्स ओरिएंटल होटल लिमिटेड ने इस संबंध में कोई बीजी/एलयूटी निष्पादित नहीं किया था।

डीजीएफटी ने इपीसीजी समिति के निर्णय के अनुसार मै. ओरिएंटल होटल्स लि. द्वारा नए बीजी /एलयूटी के अनुपालन के बारे में तथ्य को स्वीकार करते समय बताया (जनवरी 2015) कि स्टार एक्सपोर्ट हाउस होन के नाते बीजी /एलयूटी से छूट के लिए फर्म के निवेदन की जांच की जा रही है। हांलाकि, यह दावे के साथ कहा गया कि नए बीजी/एलयूटी का कार्यान्वयन इस चरण पर प्रासंगिक नहीं है क्योंकि (*i*) मै. ओरिएंटिल होटल्स ने सीमा शुल्क के साथ पहले ही बीजी कार्यान्वित की है जिसका भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जबतक आरएलए द्वारा छूट नहीं दी जाती और (*ii*) फर्म ने निर्धारित इओ को पूरा करते हुए दस्तावेजों को प्रस्तुत किया है जो समीक्षाधीन है। डीजीएफटी ने आगे कहा कि इपीसीजी समिति इओ के हस्तांतरण पर विचार कर रही थी और इपीसीजी लाइसेंस पर नहीं।

डीजीएफटी के उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाए कि मै. डोडला इंटरलेशनल लिमिटेड को इपीसीजी लाइसेंस जारी किया गया था और उसने शुल्क लाभों को प्राप्त किया था किन्तु वह निर्धारित इओ को पूरा करने में विफल रहा जिसके लिए लाइसेंसिंग अधिकारण द्वारा कार्यवाई नही की गई है। बाद में मै. ओरिएन्टल होटल्स लिमिटेड ने इपीसीजी समिति द्वारा लगाईगई शर्तों (नई बीजी/एलयूटी) को पूरे किए बिना मै. डोडला इंटरनेश्नल लिमिटेड द्वारा आयात किए गए माल का उपयोग करना जारी रखा और तत्य पश्चात अपने पक्ष में इपीसीजी लाइसेंस के समर्थन के बिना इओ को पूरा करने का दावा किया।यह ज्ञात नही है कि डीजीएफटी उनके पक्ष में इपीसीजी लाइसेंस के समर्थन के बिना मै. ओरिएंटिल होटल्स लिमिटेड को इओ के हस्तांतरण पर विचार कैसे कर रहा है।

7.16 निर्यात देयता की निगरानी

7.16.1 निर्यात देयता को पूर्ण न करना

ईपीसीजी अधिकार-पत्र धारक अधिकार (एचबीपी खण्ड-I के पैरा 5.8) की तिथि से 1 से 6 वर्ष के ब्लाक में 50 प्रतिशत निर्यात देयता पूरी करेगा। जहां किसी विशेष वर्ष के ब्लॉक में निर्यात देयता पूर्ण नहीं की गई हो ऐसे अधिकार-पत्र धारक वर्ष का ब्लॉक समाप्त होने से तीन महीने के अंदर, माल पर वसूली योग्य शुल्क के उस अनुपात जो समान अनुपात वहन करता है जैसा निर्यात देयता का अपूर्ण भाग कुल निर्यात देयता के लिये वहन करता है के बराबर राशि के प्रयोज्य ब्याज के साथ सीमाशुल्क को शुल्क का भुगतान करता है।

जेडीजीएफटी कार्यालय वाराणसी में ₹ 59.77 लाख की निर्धारित निर्यात देयताऐं माल होटल वाराणसी कैंट (लाइसेंस संख्या 1530000229 दिनांक 19 अप्रैल 2006) द्वारा पूरी नहीं की गई थी। इसी प्रकार जेडीएफटी त्रिवेन्द्रम में दो मामलों में ₹ 420.49 की निर्यात देयताओं को पूर्ण करने के तथ्य ईओ अवधि समाप्त होने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

आरएलए कोलकाता में अगस्त 2005 और जनवरी 2006 के बीच चार ईपीसीजी अधिकार-पत्र दो सेवा प्रदाताओं मैसर्स होटल हिन्दुस्तान इंटरनेशनल, कोलकाता, (3 संख्या) और मैसर्स स्पेशिऐलिटी रेस्टोरेन्ट (प्राइवेट) लिमिटेड को जारी किये गये थे। अधिकार-पत्र धारक अधिकार-पत्र की शर्तें पूर्ण करने में विफल रहे, सीमाशुल्क की ₹ 15.37 लाख की पूर्व निश्चित राशि के साथ उस पर ₹ 18.47 लाख (जून 2014) के ब्याज सहित कुल ₹ 33.84 लाख की वसूली की जानी थी। जून 2006 और मार्च 2008 के बीच अन्य 13 ईपीसीजी अधिकार-पत्रों में मैसर्स होटल हिन्दुस्तान इंटरनेशनल और दो अन्य पर विभिन्न पूंजीगत माल के आयात के लिये ₹ 85.80 लाख की बचाई गई राशि है। अधिकार पत्र धारक ने पहले ब्लाक (1 से 6 वर्ष में 50 प्रतिशत) के लिये निर्धारित इओ को पूरा करने के तथ्य प्रस्तुत नहीं किये थे। उसने एचबीपी, खण्ड-I के पैरा 5.9.1 के अनुपालन में वार्षिक प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की थी। इसलिये, अधिकार-पत्र धारक ₹ 42.96 लाख के पूर्वनिश्चित (अर्थात कुल पूर्वनिश्चित शुल्क का 50 प्रतिशत) यथोचित सीमा शुल्क और उस पर ब्याज का भुगतान करने के दायी थे।

आरएलए बैंगलुरू में, तीन मामलों के संबंध में, यह देखा गया कि ₹ 549.61 लाख की देयता को अंतिम तिथि के बाद भी ब्लॉक वार पूरा नहीं किया गया था जिसमें ₹ 68.70 लाख की बचाई गई राशि शामिल है। आरएलए ने सूचित (नवम्बर 2014) किया कि एससीएन जारी कर दिया गया है।

डीजीएफटी, नई दिल्ली ने सूचना दी (जनवरी 2015) कि आरएलए, वाराणसी द्वारा जारी लाइसेंस के सम्बंध में सीमा शुल्क (आईसीडी, टीकेडी) से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रतीक्षित है। आरएलए, कोलकाता ने चार लाइसेंसो में सही एफआईआरसी की प्रस्तुति के लिए फर्मा को पत्र जारी किए है। आइएलए, बैंगलुरू ने बताया कि फर्मों ने सभी तीन लाइसेंसो में पहले ब्लाक में ही इओ को पूरा करते हुए दस्तावेज प्रस्तुत किए है।

लेखापरीक्षा लाइसेंस के निरस्तीकरण और इओ को पूरा करने के संबंध में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच करना चाहते है।

7.16.2 वार्षिक प्रगति रिपोर्ट को प्रस्तुत न करना

ईपीसीजी अधिकार-पत्र धारक को जारी किये गये लाइसेंस के साथ-साथ निर्यात के प्राप्त (एचबीपी का पैरा 5.9.1) वार्षिक औसत स्तर के प्रति निर्यात देयता को पूर्ण करने मे प्रगति पर रिपोर्ट, प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल तक लाइसेंसिंग प्राधिकरण को प्रस्तुत करनी होगी। रिपोर्ट डीजीएफटी वेबसाइट पर इलेक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत होगी। लाइसेंसिंग प्राधिकरण विशेष वर्ष में पूर्ण किये गये इओ की सीमा तक आंशिक इओ पूर्ति जारी कर सकता है।

वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट न तो अधिकार-पत्र धारक द्वारा प्रस्तुत की गई और न ही आरएलए द्वारा मांगी गई। आरएलए बैंगलुरू (11 मामले), आरएलए कोचिन (15 मामले), आरएलए त्रिवेन्द्रम (4 मामले) आरएलए, अहमदाबाद (1 मामला) और आरएलए, जयपुर (सभी लाइसेंस)।

डीजीएफटी, नई दिल्ली ने सूचना दी (जनवरी 2015) कि आरएलए, बैंगलुरू के 11 मामलों में से 4 मामलों में वार्षिक प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत नहीं की गई है हालांकि, इओ को परा करने वाले दस्तावेजों को प्रस्तुत किया गया, 3 मामलों में लाइसेंस धारकों को दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, 1 मामले में इओ को डिस्चार्ज किया गया है, 1 लाइसेंस को वापस कर दिया

गया है जबकि शेष एक मामले में फर्म ने 2007-08 के दौरान इओ का पूरा कर लिया है, इसलिए वार्षिक रिपोर्ट अपेक्षित नहीं थी।

आरएलए, कोचीन (15 मामलें) के संबंध में यह बताया गया कि 12 लाइसेंसो का पहले ही प्रतिदाय दिया गया है, इओ अवधि को 1 मामलों में सितम्बर 2015 तक बढ़ा दिया गया था जबकि 2 लाइसेंस-धारकों को अपने मामलों को विनियमित करने के लिए कहा गया है।

आरएल, तिरूवेंद्रम के चार मामलों में यह बताया गया कि वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट मांगी गई थी किन्तु अननुपालन के कारण लाइसेंस धारकों द्वारा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी। हालांकि दो मामलों में, इओ को पूरा किया गया है और लाइसेंसों को प्रतिदान कर दिया गया था, एक अन्य मामलें में प्रस्तुत किए गए इओ दस्तावेजों की संवीक्षा की जा रही है जबकि शेष 1 मामला निर्णयाधीन है।

आएलए, अहमदाबाद ने सूचना दी कि लाइसेंस वापस कर दिए गए है। आरएलए, जयपुर से उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2015)। तथ्य यह है कि मामलों को एफटीपी प्रावधानों और प्रतिक्रियाओं के अनुसार मॉनीटर नहीं किया गया था।

7.17 नॉन ग्रुप कंपनी द्वारा ₹ 111.02 लाख के बचाये गये शुल्क के प्रति निर्यात देयता की अनुचित पूर्ति

निर्यात देयता तृतीय पक्ष { पैरा 6.5 (ii) 1997-2000} के माध्यम से लाइसेंस धारक से सीधे निर्यात के माध्यम से, ईपीसीजी योजना के अंतर्गत पूर्ण की जायेगी। यदि व्यापारी निर्यातक ईपीसीजी अधिकार पत्र धारक है। शिपिंग बिल में सहायक निर्माता का नाम भी दर्शाया जायेगा। निर्यात के समय, ईपीसीजी अधिकार पत्र संख्या और तिथि शिपिंग बिल पर पृष्ठांकित होनी चाहिये, जो निर्यात देयता की छूट के प्रति प्रस्तुत किय जाने प्रस्तावित है।

ग्रुप कंपनी जैसा एफटीपी के पैराग्राफ 9.28 में परिभाषित है, का अर्थ है दो या अधिक उपक्रम जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य उपक्रम में मताधिकार का 26 प्रतिशत या अधिक प्रयोग करने की स्थिति में है; या (ii) लाभ का दावा करने वाली ग्रुप कंपनियों या ग्रुप के अन्य सदस्यों द्वारा दावा किये जाने वाले लाभ के लिये अपने निर्यात की गिनती या अन्य उपक्रम के निदेशक मंडल के

सदस्यों की 50 प्रतिशत से अधिक नियुक्ति, ग्रुप कंपनी नीति में अधिसूचित किसी भी निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत आवेदन की तिथि से कम से कम दो वर्ष पूर्व से अस्तित्व में होना चाहिये, जहां लाइसेंस किसी ग्रुप कंपनी को जारी किया गया हो, निर्यात देयता ऐसी ग्रुप कंपनी से संबंधित किसी अन्य कंपनी द्वारा निर्मित माल के निर्यात से भी पूरी की जा सकती है।

आरएलए, भोपाल ने 2005-06 से 2006-07 की अवधि के दौरान पूंजीगत माल के आयात के लिये मैसर्स एंटरटेनमेंट वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर को ईपीसीजी लाइसेंस संख्या एएएसी 9739 केएसटी 001 जारी किया। अधिकार पत्र धारक ने अपनी ग्रुपकंपनी अर्थात मैसर्स फ्लेक्सिटफ इंटरनेशनल लिमिटेड पीथमपुर के माध्यम से निर्यात देयता पूर्ण की। संस्था ने अंतर्नियम और ज्ञापन से पता चला कि मैसर्स फ्लेक्सिटफ इंटरनेशनल लिमिटेड, पीथमपुर ग्रुप के रूप में स्वीकृत नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी पता चला कि अधिकार पत्र धारक आईटीसी एचएस कोड 94032090 अर्थात पर्यटन और यात्रा संबंधित सेवाओं के अंतर्गत मदों के निर्यात से संबंधित है और सहायक ग्रुप कंपनी मैसर्स फ्लेक्सिटफ इंटरनेशनल लिमिटेड पीथमपुर एचडीपीई/पीपी थैले बुनने/कपडे/पीपी बडे थैले आदि की निर्यातक है। लाइसेंस धारक ने इएक्सआईएम नीति के अनुपालन में, शिपिंग बिलों में सहायक निर्यातक कंपनी के रूप में लाइसेंस जारी करवाते समय न तो अपनी ग्रुप कंपनी बताई न ही दर्शाई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 111.02 लाख की सीमा शुल्क की अनुचित बचत हुई, विदेश व्यापार (विकास और नियम) अधिनियम 1992 की धारा के अनुसार उक्त नियम और जुर्माने के अनुसार ब्याज सहित वसूल किये जाने योग्य है।

डीजीएफटी, नई दिल्ली ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए बिना आरएलए भोपाल रिपोर्ट का उद्धरण देते हुए बताया (जनवरी 2015) कि मै. फलेक्सिटफ इंटरनेशनल लिमिटेड मै. एंटरटेनमेंट वर्ल्ड डेवलपर्स प्रा. लि. की ग्रुप कम्पनी है और मै. फलेक्सिटफ इंटरनेशनल लि. द्वारा विनिर्मित उत्पादों का निर्यात इओ को पूरा करने के लिए एफटीपी के पैरा 5.4 (i) के अन्तर्गत मात्र है।

लेखापरीक्षा मूल और स्थानांतरण दोनो के लिए अगले तीन वर्षों में ग्रुप कम्पनी की पात्रता और ग्रुप कम्पनी द्वारा प्राप्त किए गए औसत निर्यातों के

अलावा दिए गए निर्यात दायित्वों के संबंध में विभाग से दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करने के बाद निर्गम की पुन: जांच करेगी। जैसाकि एफटीपी के पैरा 5.4 (i) में परिकल्पित है।

7.18 निर्यात देयता निर्वहन प्रमाणपत्र जारी करने में विलम्ब

क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण 30 दिनों के अन्दर ईपीसीजी लाइसेंस में छूट के आवेदन के निपटान को सुनिश्चित करेगा। कमियां, यदि कोई हो, एक बार (एचबीपी का पैरा 5.13) में बतानी होगी। उसके बाद, कोई भी पत्र व्यवहार केवल इन कमियों से संबंधित होगा। नया पत्र व्यवहार, यदि आवश्यक हो, 15 दिनों के अंदर करना होगा। दस्तावेज पूर्ण होने पर, इओ पूर्ण दस्तावेज/जानकारी की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर छूट मिल जायेगी।निर्यात देयता या अधिकार पत्र के किसी अन्य शर्त पूरी करने में विफलता के मामले में, अधिकार पत्र धारक एफटीपी और सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (पैरा 5.17), के प्रावधानों, एफटी (डीएंडआर) अधिनियम 1992, इसके अधीन बनाये गये आदेशों और नियमों के अंतर्गत कार्यवाही के लिये जवाबदेह होगा।

अंतिम छूट प्रमाणपत्र/अस्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया शुरूआती अनुरोध की प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों की अवधि के अंदर पूर्ण करना होगा। आवेदन जो 90 दिनों की अवधि से अधिक अप्राप्त रहता है तत्पश्चात् तुरंत तत्संबंधी कारणों सहित डीजीएफटी को सूचित करना होगा।

आरएलए जयपुर में, लेखापरीक्षा ने देखा कि निम्नलिखित मामलों में निर्यात देयता छूट प्रमाणपत्र (ईओडीसी) ईओडीसी के लिये आवेदन की प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के बाद जारी किया गया और तत्संबंधी कारणों सहित कोई रिपोर्ट डीजीएफटी को नहीं भेजी गई (तालिका 7.2) :-

तालिका 7.2: निर्यात देयता निर्वाहन मामले

क्र. सं.	सेवाप्रदाता का नाम	लाइसेंस संख्या और तिथि	बचाये गये शुल्क की राशि (₹ लाख में)	छूट के लिये आवेदन प्राप्त करने की तिथि	इओडीसी जारी करने की तिथि	इओडीसी जारी करने में लिया गया समय (दिनों में)
1.	हेरिटेज इन प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर	1330001112 दिनांक 26.10.2005	11.42	02.09.08	13.05.09	254
2.	शायना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, जोधपुर	1330001178 दिनांक 02.02.2006	11.32	03.08.09	30.11.09	120

आरएलए जयपुर ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और उत्तर भेज दिया जायेगा।

7.19 भाग-II भारत से सेवित योजना (एसएफआईएस)

7.19.1 एसएफआईएस के उद्देश्यों के प्रति विदेशी ब्राडों के संवर्धन के लिये ₹ 7589.49 लाख की राशि के शुल्क क्रेडिट का अनुचित अनुदान

एसएफआईएस का उद्देश्य सेवाओं के निर्यात के विकास में तेजी लाना है ताकि भारत से सेवित ब्रांड शक्तिशाली और अलग बने, शीघ्र स्वीकृत और दुनिया भर में (एफटीपी के पैरा 3.12.1) सम्मानित हो।

इस संबंध में, नीति विवेचन समिति ने 27 दिसम्बर 2011 को आयोजित अपनी बैठक के कार्यवृत्त संख्या 09/एएम 09 दिनांक 27.01.2009 और संख्या पीआईसी 10/एएम-12 के माध्यम से अलग 'भारत से सेवित' ब्रांड बनाने की एसएफआईएस योजना के मूल उद्देश्य स्पष्ट किया हैं और कहा है कि योजना वास्तव में भारतीय ब्रांड के प्रोत्साहन के लिये है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया कि एफटीपी का किसी भी ब्रांड जो भारत के बाहर बनी है को प्रोत्साहित करने का इरादा नहीं है। ऐसी भारतीय ब्रांड इतनी अलग होनी चाहिये ताकि सरलता से पहचानी जाये और दोनों घरेलू स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वयं के लिये अलग पहचान बनाये। अनिवार्य रूप से ऐसी ब्रांड को भारतीय छवि को सुधारना चाहिये और इसलिये एफटीपी ने 'भारत से सेवित' ब्रांड वाक्यांश का प्रयोग किया। समिति ने, इसलिये निष्कर्ष निकाला कि कंपनियां जो भारतीय ब्रांडों के रूप पहचान न हो, उस ब्रांड को

प्रस्तुत करती हैं, के एसएफआईएस लाभ की स्वीकृति योजना के पीछे उद्देश्य के साथ संगत नहीं होगा।

2011-14 के दौरान प्रतिष्ठित विदेशी ब्रांड होटल्स के नाम के ब्रांड प्रयोग करने वाले विभिन्न सेवा प्रदाताओं को इक्यानवे शुल्क क्रेडिट शेयर आरएलए मुंबई और पुणे और अन्य (आरएलए कोलकाता-8, आरएलए अहमदाबाद-5, आरएलए जयपुर-4, आरएलए बैंगलुरू-2) द्वारा 19 शेयर जारी किये गये। इसके परिणामस्वरूप इन 110 मामलों में ₹ 7598.49 लाख की राशि के शुल्क क्रेडिट शेयर का अनुचित अनुदान हुआ।

आरएलए, जयपुर ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया। आरएलए बैगलुरू/कोलकाता ने कहा कि विदेश व्यापार नीति एसएफआईएस सहित अपनी योजनाओं के अन्तर्गत लाभों को प्राप्ति से संबंधित मामलों में विदेशी और भारतीय कम्पनी के बीच कभी भेद-भाव नहीं करती। ब्राण्ड का नाम प्रवृति में अद्वितीय है और किसी देश से संबंधित नहीं है ये होटल भारतीय कम्पनियों के स्वाम्य वाले/उनके द्वारा प्रबंधित है जो इस ब्रांड का स्वाभी विदेशी कम्पनी के साथ करार के अन्तर्गत ब्राण्ड नाम में इन होटलों को चलाते है। तदनुसार, वें इस योजना के अन्तर्गत लाभों हेतु पात्र है।

आरएलए, बैंगलुरू/कोलकाता के उत्तर नीति व्याख्या समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों (09/एएम 09 और 10/एएम 12) के उल्लंघन में है और इसे इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाए कि एसएफआईएस के मूलभूत उद्देश्य एकमात्र 'सर्वडफ्रॉम इंडिया' ब्रांड का निर्माण करना है। अन्य आरएलए से उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2015)।

7.19.2 ट्रेवल एजेंट के माध्यम से भारतीय रूपए/विदेशी मुद्रा में आय पर शुल्क क्रडिट शेयर का अनुचित अनुदान

i. ₹ 290.50 लाख (आरएलए, मुंबई-28 मामले, ₹ 145.71 लाख, आरएलए, गोवा-27 मामले, ₹ 144.79 लाख) के 55 शुल्क क्रेडिट शेयर टूर ऑपरेटरों और ट्रेवल एजेंटों के माध्यम से भारतीय रूपय/विदेशी मुद्रा में आय पर छह सेवाप्रदाताओं को अनियमित रूप से जारी किये गये थे, जो लाइसेंस धारक से वसूली योग्य हैं।

ii. आरएलए, जयपुर ने अपेक्षित शर्तों की पूर्ती किये बिना, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (आरटीडीसी), जयपुर को ₹ 335.46 लाख शुल्क क्रेडिट के लिये भारत से सेवित योजना (एसएफआईएस) का अधिकार पत्र जारी (दिसम्बर 2012) किया। आरटीडीसी पैलेस ऑन व्हील्स (भारतीय रेल के साथ संयुक्त उद्यम) की टूर संचालन सेवा से जुडा था और करार (जून 2009) के अनुसार आरटीडीसी के पास 44 प्रतिशत शेयर थे जबकि भारतीय रेल के पास 56 प्रतिशत शेयर। क्योंकि भारतीय रेल संयुक्त उद्यम की मुख्य शेयर धारक है, लेकिन उनसे अस्वीकरण प्रमाण पत्र न तो प्राप्त किया गया और न ही आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया। आरटीडीसी द्वारा प्रस्तुत आवेदन से पता चला कि 2011-12 के दौरान कुल अर्जित विदेशी मुद्रा ₹ 3354.61 लाख दर्शायी गई थी जिसमें अन्य ट्रेवल एजेंटों द्वारा अर्जित ₹ 2448.58 लाख शामिल था और आरटीडीसी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से केवल ₹ 906.03 लाख अर्जित था। विदेशी आवक प्रेषण प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। इन कमियों के बावजूद आरएलए ने आवेदन स्वीकार किया और एसएफआईएस के अंतर्गत अधिकार पत्र जारी किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 335.46 लाख शुल्क क्रेडिट शेयर का अनुचित अनुदान हुआ।

आरएलए, जयपुर ने दावे को इस आधार पर उचित (अप्रैल 2014) बताया कि आरटीडीसी विशेष रूप से संयुक्त उद्यम का आयोजन करता है और अर्जित विदेशी मुद्रा उनके खाते में प्रत्यक्ष रूप से जमा होती है, जिसका बाद में भारतीय रेल को भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त दोहराया कि ट्रेवल एजेंट जिन्हें विदेशी मुद्रा आय होती है एसएफआईएस के लिये भी पात्र थे और यह भी कहा कि सनदी लेखाकार के प्रमाणपत्र के अनुसार, कुल राशि आरटीडीसी लिमिटेड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा में प्राप्त हुई थी।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भारतीय रेल से अस्वीकरण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था यद्यपि आखिरकार भारतीय रेल को विदेशी मुद्रा आय का 56 प्रतिशत प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त आरटीडीसी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अर्जित विदेशी मुद्रा केवल ₹ 906.03 लाख थी तदनुसार उनसे

अस्वीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ट्रेक्ल एजेंटों द्वारा ₹ 2448.58 लाख विदेशी मुद्रा आय के लिये लाभ अनियमित/उचित नहीं था।

(iii) अन्य छह सेवा प्रदाताओं के मामले में ₹ 92.59 लाख के 50 शुल्क क्रेडिट शेयर होटल काउंटर पर होटल अतिथि द्वारा विदेशी मुद्रा के नकदीकरण पर अनुचित रूप से दिये गये।

आरएलए, मुम्बई ने मै. लक्षमी वैन्चर्स (इंडिया) को मांग एवं कारण बताओ नोटिस जारी किया जबकि अन्य स्क्रिप्स के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2015)।

(iv) आरएलए, मुंबई के अंतर्गत मैसर्स बीडीएंडपी होटल्स (आई) प्राइवेट लिमिटेड के मामले में ₹ 694.24 लाख (एशियन फोरेक्स प्राइवेट लिमिटेड से विदेशी मुद्रा के परिवर्तन से ₹ 168.94 लाख और चालक दल के आवास शुल्क के प्रति साऊदी अरेबियन एयरलाईंस से ₹ 525.30 लाख) का अनुचित प्रेषण कटौती के बिना शुल्क क्रेडिट शेयर जारी किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 69.42 लाख के शुल्क क्रेडिट का अधिक अनुपान हुआ।

(v) ₹ 217.67 की राशि के पांच शुल्क क्रेडिट शेयर सेवा प्रदाताओं को विभिन्न आरएलए (बडोदरा-1, अहमदाबाद-1, जयपुर-1, बैंगलुरू-1, चेन्नै-1) द्वारा जारी किये गये थे। इसमें से ₹ 17.29 लाख का शुल्क क्रेडिट एसएफआईएस लाइसेंसों में कवर न की गई अलग अवधि से संबंधित फीस को मिलाने के कारण अधिक जारी किया गया था।

आरएल, जयपुर ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया, जबकि आरएलए चेन्नई ने वसूली नोटिस जारी किया और ₹ 4.57 लाख वसूल किए थे। आरएलए बैंगलुरू ने बताया कि फर्म ने पूर्ण रूप से स्क्रिप्स का उपयोग नहीं किया। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (जनवरी 2015)।

7.20 निर्धारित दस्तावेजों के प्रस्तुत किये बिना शुल्क क्रेडिट स्क्रिप जारी करना

7.20.1 दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने के कारण समय बाधित दावों पर ₹ 60.87 लाख के शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का अनुचित अनुदान

एसएफआईएस के लिये आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि वित्तीय वर्ष (एचबीपी खण्ड I का पैरा 3.6) के समाप्त होने से 12 महीने है। 2 वर्षों की अधिकतम अवधि तक आवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब एचबीपी के पैरा 9.3 में निर्धारित दर पर लंबित कटौती शुल्क लगाता है। इस प्रकार, दावे देय तिथि

समाप्त होने के केवल 2 वर्षों की अवधि के अंदर फाइल किये जा सकते है और देय तिथि से दो वर्ष समाप्त होने के बाद प्रस्तुत किये गये आवेदन पर अधिकार के लिये विचार नहीं किया जायेगा।

मैसर्स स्पेशियलिटि रेस्टोरेन्ट (प्राइवेट) लिमिटेड (मैनलेंड चाइना) को दो प्रतिशत दर पर विलम्ब कटौती के बाद आरएलए कोलकाता द्वारा ₹ 621.15 लाख के शुल्क के प्रति ₹ 60.87 लाख के लिये 13 (अलग) शुल्क क्रेडिट शेयर (संख्या 210194314-26 दिनांक 16 सितम्बर 2013) जारी किये गये। एसएफआईएस समिति (बैठक दिनांक 18.07.11) के निर्णय के आधार पर आरएलए ने एफआईइओ की बजाय इपीसी (एसपीईसी) सेवा द्वारा जारी आरसीएमसी के लिये बुलाया (पत्र दिनांक 22.07.11)। ईपीसी सेवा, नई दिल्ली द्वारा 31 अगस्त 2012 को जारी आरसीएमसी बाद में प्रस्तुत दिनांक 2 सितम्बर 2013 के पत्र के माध्यम से आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्योंकि आरसीएमसी आवेदन फाइल करने की अंतिम तिथि से 2 वर्षों से अधिक समाप्त होने के बाद आरएलए को प्रस्तुत किया गया था, ₹ 60.87 लाख के लिये शुल्क क्रेडिट का अनुदान एचबीपी, खण्ड के पैरा 9.3 के अनुसार समय बाधित था।

मामला विभाग (सितम्बर 2014) के नोटिस में लाया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित (जनवरी 2015) है।

7.20.2 एफटीपी के अंतर्गत लाभ के लिये आवेदन करने वाले निर्यातक को सक्षम प्राधिकारी (पीसी संख्या 27/2007 दिनांक 17जनवरी 2008 के साथ पठित एफटीपी का पैरा 2.44) से, वैध (आवेदन की तिथि को) आरसीएमसी प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, एचबीपी खण्ड । के परिशिष्ट 2 में सचीबद्ध अनुसार विशेष सेवाओं को स्वयं को एसईपीसी के साथ पंजीकृत करना आवश्यक है। 'होटल और पर्यटन संबंधित सेवाऐं' 31 मार्च 2008 (सार्वजनिक सूचना संख्या 135 दिनांक 31 मार्च 2008) से परिशिष्ट 2 में क्रम संख्या 14 में विशेष रूप से शामिल है। इस प्रकार, एफटीपी के अंतर्गत किसी भी योजना का लाभ लेने के लिये, होटलों को एसईपीसी से आरसीएमसी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

मैसर्स वोलेड सिटि होटल प्राइवेट लिमिटेड, जोधपुर (एसएफआईएस लाइसेंस संख्या 1310045373 दिनांक 12 दिसम्बर 2013) के मामले में, विदेशी आवक प्रेषण प्रमाणपत्र प्राप्त/पार सत्यापन किये बिना ₹ 211.82 लाख की अर्जित विदेशी मुद्रा के प्रति ₹ 21.18 लाख का शुल्क क्रेडिट जारी किया गया था। आरएलए (मुंबई और गोवा) में अन्य छह मामलों में आयात विवरण प्राप्त किये बिना ₹ 247.23 लाख के लिये सेवा प्रदाताओं को शुल्क क्रेडिट शेयर जारी किया गया था।

अगस्त/जुलाई 2014 में बताये जाने पर, आरएलए जयपुर ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष स्वीकार किये जबकि आरएलए मुंबई/गोवा का उत्तर जनवरी 2015 तक प्रतीक्षित था।

7.21 स्क्रिप के माध्यम से शुल्क क्रेडिट के प्रति देय ब्याज का अनुचित समायोजन

सीमाशुल्क विभाग को देय जुर्माने/ब्याज का केवल नकद (एफटीपी का पैरा 3.17.11) में भुगतान करना आवश्यक है।

आरएलए चेन्नै द्वारा मैसर्स अप्पू होटल्स लिमिटेड (आईईसी संख्या 0494016868) (अनुबंध-8) और अन्य तीन सेवा प्रदाताओं को अतिरिक्त शुल्क क्रेडिट स्क्रिप जारी किये थे। शुल्क क्रेडिट की इस अधिक राशि को बाद में पात्रता में शुल्क क्रेडिट की कटौती से समायोजित किया गया। यद्यपि, यह देखा गया कि इस राशि पर ब्याज उपरोक्त प्रावधान के अनुसार नकद में वसूली की बजाय शुल्क क्रेडिट सहित समायोजित भी किया गया।

इसी प्रकार के दो मामलों में (मैसर्स एपीए होटल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, मैसर्स एसएएस होटल्स एंड एंटरप्राईसेस लिमिटेड) (अनुबंध-9) अतिरिक्त राशि को समायोजित किया गया, परन्तु ब्याज की वसूली नहीं की गई (अनुबंध 9)।

संशोधित शुल्क क्रेडिट शेयर में राशि के समायेजन से समायोजित ब्याज की राशि एफटीपी के प्रावधानों के खिलाफ थी जबकि लाभार्थियों से ₹ 37.39 लाख वसूली योग्य है।

7.22 ₹ 65.79 लाख के विलम्ब शुल्क की गैर/कम उगाही

एचबीपी 2009-14 के पैराग्राफ 3.6(बी) के अनुसार, शुल्क क्रेडिट शेयर के लिये आवेदन संबंधित माह/तिमाही/अर्धवार्षिक/वर्ष के अंत से 12 माह के अंदर फाइल करना होगा। इसके अतिरिक्त, एचबीपी खण्ड-I के पैराग्राफ 9.3 के अनुसार जब भी आवेदन अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद प्राप्त होता है, ऐसे आवेदन पर 2/5/10 प्रतिशत की दर पर विलम्ब शुल्क जो लागू हो लगाने के बाद विचार किया जा सकता है।

अनुबंध 10 में दर्शाए गए विभिन्न मामले आरएलए में देखे गये जहां एसएफआईएस शुल्क क्रेडिट शेयर के लिये आवेदन प्रस्तुत करने में विलंब के कारण विलंब शुल्क या तो वसूला ही नहीं गया था या कम वसूला गया था। तदनुसार, लाभार्थियों से कुल ₹ 61.44 लाख की विलंब शुल्क राशि वसूली योग्य है।

आरएलए जयपुर ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को सवीकार किया और आरएलए, मुम्बई ने मै. प्राइड होटल लि. के मामले में मांग नोटिस जारी किया। आरएलए पुदुचेरी ने मै; हाई डिजाइन इंडिया प्रा.लि. के मामले में ₹ 0.86 लाख की वसूली की सूचना दी। अगली प्रगति प्रतीक्षित थी (जनवरी 2015)।

7.23 नोटिस किये गये अन्य दिलचस्प बातें

7.23.1 दोनों एसएफआईएस और इपीसीजी योजना के अंतर्गत लाभ का गलत अनुदान

ईपीसीजी योजना (एफटीपी आरई-2007) के पैरा 5.4 (v) के अनुसार, निर्यात देयता (औसत के अतिरिक्त) की पूर्ती के प्रति संचित विदेशी मुद्रा प्रचार साधन/योजनाओं के अंतर्गत प्रोत्साहन/पुरस्कार के लिये पात्र नहीं होंगी। यह अनुच्छेद एफटीपी आरई 2008 से हटा दिया गया था।

एसएफआईएस और ईपीसीजी अधिकार के अंतर्गत दोहरे लाभ देने के मामले में, डीजीएफटी ने नीति परिपत्र संख्या 15 (आरई-2008)/2004-2009 दिनांक 4 जुलाई 2008 जारी किया और स्पष्ट किया कि सेवाप्रदाता को ईपीसीजी अधिकार (औसत से अधिक, यदि है) के अंतर्गत लंबित ईओ की पूर्ती के लिये 01.04.2007 से 31.03.2008 के दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा पहले उपयोग

करनी होगी और एसएफआईएस केवल 1.4.2007 से 31.03.2008 तक के दौरान अर्जित किसी भी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा के लिये पात्र होगा। तदनुसार, आरएलए को इपीसीजी अधिकार के अंतर्गत सभी लंबित ईओ के विवरण की मांग और वसूली करने यदि यह पाया जाये कि किसी विशिष्ट मामले में 2007-08 के दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा के लिये अतिरिक्त एसएफआईएस लाभ पहले ही दे दिये गये है के लिये निर्देशित इसके अतिरिक्त, सेवाप्रदाताओं के ईपीसीजी अधिकार में छूट के समय, आरएलए को सुनिश्चित करना चाहिये कि एसएफआईएस को 1.04.2007 से 31.08.2008 के दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा का अनुदान नहीं किया गया है, जिसका प्रयोग अधिकार के प्रति लंबित ईओ की छूट के लिये किया गया था।

7.23.2 छः मामलों में (अनुबंध 11) वर्ष 2007-08 के लिये शुल्क 19 अप्रैल2007 से शुरू एफटीपी 2009-14 के पैरा 5.4 (v) के पूर्वोक्त प्रावधान के प्रति अनुवर्ती वर्षों के लिये एसएफआईएस दावे के साथ-साथ ईपीसीजी योजना के अंतर्गत निर्यात देयताओं के लिये माना गया था। इसके अतिरिक्त अनुवर्ती वर्ष में एसएफआईएस के अंतर्गत सीमाशुल्क के भुगतान के बिना किये गये निर्यात के साथ-साथ विशेष वर्ष में ईपीसीजी योजना के अंतर्गत छूट के लिये निर्यात को मानना, इन लाभार्थियों द्वारा वास्तविक निर्यात और एक ही आय पर आधारित दो लाभ उठाने को संतुलित करता है। इसके परिणामस्वरूप शुल्क में कटौती हुई और एफटीपी के अंतर्गत दो योजनाओं के अपेक्षित उद्देश्य पूरे नहीं हुये।

7.24 निष्कर्ष

आतिथ्य क्षेत्र को विदेशी मुद्रा अर्जित करने के उद्देश्य से मुख्यतः दो योजनाओं; निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) और भारत से सेवित योजना के अंतर्गत विदेशी व्यापार नीति के शुल्क लाभ की सुविधा प्रदान की गई है।

वाणिज्य विभाग की आरएफडी/कार्यनीति योजनाएँ/परिणाम बजट के पास आतिथ्य क्षेत्र के लिए कोई विशेष योजना नहीं होती जो कि अग्रिम विकास और रोजगार उत्पाद की विशाल संभाव्यता के साथ वर्ष 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान ₹ 2,79,749 करोड़ की कुल विदेशी मुद्रा उपार्जन के साथ

जीडीपी में लगभग 8-9 प्रतिशत का योगदान करता है। एफटीपी के कारण आतिथ्य क्षेत्र में अर्जित एनएफई पर सूचना के लिए एकल बिंदु भी नहीं है।

लेखापरीक्षा अवलोकन आतिथ्य क्षेत्र को मदद कर रही मुख्यतः ईपीसीजी एवं एसएफआईएस योजनाओं को ही निहित कर रही है। ईपीसीजी योजना के तहत गलत/कम स्थिरीकरण एवं निर्यात बाध्यता की कम/गैर-पूर्ती देखी गई थी। एसएफआईएस के तहत, क्रेडिट स्क्रिप के गलत अनुदान के मामले, विदेशी ब्रैंड स्थापित कर चुके सेवा प्रदाता को क्रेडिट स्क्रिप जारी करने, गैर-कम विलम्ब शुल्क आदि लगाने के मामले देखे गए। आतिथ्य क्षेत्र में योजनाओं के अंतिम उपयोग पर आश्वासन पाने के आंतरिक नियंत्रण तंत्र को अनुपस्थित पाया गया।

उपरोक्त मामलों के अलावा, अंतर-विभागीय समन्वय, निगरानी और आंतरिक नियंत्रण में कमी के काफी मामले भी देखे गये जिसके कारण राजस्व प्रभाव होगा।

विभाग ने आथित्य क्षेत्र द्वारा उठाये गये लाभ और वसूले गये राजस्व के बारे में आश्वासन/परिणाम पाने के लिये डीजीएफटी-ईडीआई में या मैनुअली कोई भी प्रणाली नहीं बनाई जिससे विभाग को विभिन्न एफटीपी की क्षेत्रीय आवश्यकताओं को और अधिक सुधारने के लिए फीडबैक प्रदान किया जा सकता था।